

क्रमांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सम्बन्धित कागज
अदालत की इस
हुकम की तारीख
के जारी हुए

4/4/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 17/4/25 को पेश हो।

आदेश से सीटवर

17/4/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 5/5/25 को पेश हो।

आदेश से सीटवर

5/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.) जर्जिबानी सं. 1 की
ओर से जगललनाना पेश नहीं। पत्रावली वास्तु कासफाया
पेश करने हेतु दिनांक 23/5/25 को पेश हो।

उप
5/5/25

23/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं जर्जिबानी अधि. वकला उप.)
पैरोकार सरकार उप.) पैरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त
शुद्धि की प्रयत्न जमानती पेश का निवेदन किया गयी
वादी द्वारा वादग्रस्त शुद्धि में अपने आधिकार वादी
पंजीकृत विवेक विवेक हस्तान्तरित कर दिए गये हैं तथा
पंजीकृत विवेक विवेक के आधार पर शकल रिपोर्ट में
अमल दस्तावेज हो चुका है इस प्रकार वाद. कार्यकारी
आधिनियम की धारा 63(4) में अधिकार निर्वाहितकर
दिये जाने से वादी शकलान काइरकारी आधिनियम की
धारा 53 में सहजगौरा नहीं रहने से वाद की चलावे में
महसूस नहीं है। वादी एवं जर्जिबानी अधि. दाव पैरोकार
कारार की तरह से स्वीकार किया गया।

23/05/2025
सेमरु जज
क. NDR, RM

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद
अन्तर्गत धारा 53 शकलान काइरकारी आधिनियम
की वादी के वर्तमान शकलान रिपोर्ट अनुसार सहजगौरा
नहीं होने से खाविज किया जाता है निर्णय अमे इतना
सुनाया गया। उकी पचा जावी हो।
पत्रावली कोपल सुमार लेकर
वापस लाया हो तथा तबबर से कम हो।

सिलसिले के अनुसार
मिलीबोर्ड

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. अलादीन पिता सरदार खां पठान उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. हुसैना पिता सरदार खां पठान उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
वादीगण

बनाम


1. मीना देवी पत्नी उम्मेदलाल सिंघवी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद बाबत् विभाजन आराजी**

प्रकरण संख्या 61/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र बापना अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 23.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी के वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सहखातेदार नहीं होने से खारिज किया जाता है।


23/5/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा